

## समाचार

### संविद. प्राविधिक शिक्षा परिषद.

#### उत्तर प्रदेश राज्यपाल

संख्या - प्राविध.परिषद.सम्बद्धता/2022/7417

संलग्नक- दिनांक: 20/08/2022

#### समाचार शीर्षक:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्नेजी फाउन्डेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संविद. 2022-23 हेतु द्वितीय मासिक सत्रों की विषय संरचनाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संलग्नक से सम्बद्धता/सम्बद्धता/विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदिता नई संरचनाओं को सम्बद्धता पूर्व से संविदित संरचनाओं को सम्बद्धता विस्तार/संलग्नक/प्रवेश क्षमता/वृद्धि सहित अग मर्ग पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता/विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विद संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संलग्नक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु विस्तारित सत्रों के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता/विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1922-N.G.J.C.P. MDDIPURAH , MEERUT

क्र.सं०	संलग्नक का नाम	एच.आई.सी.टी.ई.टी.सी.पी.आई.टी.सी.आई.टी. द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच.आई.सी.टी.ई.टी.सी.पी.आई.टी.सी.आई.टी. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमन-1992, विनियमन-2000, सेक्टर विनियमन-2018 तथा संलग्नक पर निर्भर शासनद्वारा कत अनुमोदन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क रीन करीव इनीव पाठ्यक्रमों हेतु रु० 21100.00/- करीव, दो करीव करीव पाठ्यक्रम हेतु रु०- 46000.00/- करीव एवं एक तथा दो करीव पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय परीक्षा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22000.00/- करीव शुल्क की प्रत्येक उल्लेखित में प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उल्लेखितों से शुल्क के संलग्न में संलग्न-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनद्वारा प्रभावी होने, और अनुमोदन कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। करीव निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परीक्षा की नवीनता की अनुमोदनी।
- ✓ संस्था में वृद्धत प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा अवधि सत्रों को ही प्रवेश दिए जाएगा।
- ✓ संस्था को प्रवेश-समय पर निर्मित शासनद्वारा के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधिनियमों/अधिनियमों/शासनद्वारा निर्धारित एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्यपाल के निर्देशों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का एच.आई.सी.टी.ई.टी.सी.पी.आई.टी.सी.आई.टी. से अनुमोदन विस्थापित किया गया है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और निहित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अल्प उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विनियमन एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई चोट दावा किया जाता है तो संस्था चोट के संबंध में मा. शासन द्वारा निर्धारित प्रस्ताव की प्रतिक्रिया करके अवधि निर्मित किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदिता परामर्शित प्रदान होने के पूर्व एच.आई.सी.टी.ई.टी.सी.पी.आई.टी.सी.आई.टी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय एवं शासन कार्यालय होगा अथवा उन्हें प्रवेश की अनुमोदित के शासन से प्रवेश परीक्षा के अर्थात् परीक्षा प्रवेश, अनुमोदित प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु संलग्न-समय पर निर्मित नवीनता आवश्यक विषयों का अनुमोदन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संलग्न सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृत्ति भूमि, स्थाप, शासन-समय, उपाय, शासन विषय जगें प्राप्त शुल्क, शासन सूचक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा/विशेष हेतु अनुमोदित शासन/उपलब्ध करने के साथ ही शासन शासन के संलग्न शासन/उपलब्ध सूचक/विशेष करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था में प्रस्तावित संविदित पाठ्यक्रम को जारी करने हेतु निर्धारण समिति के संलग्न उपाय/समय एवं अतिरिक्त, भूमि/शासन, करीव, उपाय/समय इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के शासन में प्रवेश किया जाता है और परिषद



**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथि/परिषद/सम्बद्धा/2020/1971

तखानक दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अधिन कालीय मन्त्रीजी शिक्षा परिषद, गढ़ दिल्ली,/भारतीय प्रजासत्ताक राज्य इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा लेखिक संख 2020-21 हेतु विद्यार्थी स्वदेशी मन्त्रीजी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 तखानक से सम्बद्धा/सम्बद्धा विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अन्तः प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 तखानक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा संख 2020-21 हेतु अधिनित नई संस्थाओं की सम्बद्धा/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धा विस्तार/प्राप्तिक्रम/प्रवेश प्रदान वृद्धि सहित अन्य मती पर विचार करने हेतु संख 2020-21 हेतु सम्बद्धा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुमोदन में सम्बद्धा समिति की बैठक के मध-3 में किलोला इन मन्त्रीजी प्रादरकन सम्बन्धित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धा समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

निम्नी श्रेण में स्थापित किलोला इन मन्त्रीजी प्रादरकन सम्बन्धित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 तखानक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, पूर्व संख 2020-21 हेतु पीडीआई/डी द्वारा नवीं समस्त अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीडीआई/डी द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध अधिका प्राप्तिक्रम/प्रवेश प्रदान के साथ संख 2020-21 हेतु परिषद के सम्बद्धा विस्तार प्रदान किये जाने का समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीडीआई/डी द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुमोदन में संख 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धा विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 12-08-2020 को अद्यतन सम्बद्धा समिति की बैठक में लिये गये कार्रवाई निर्णय के अनुमोदन में गिन संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 तखानक द्वारा संख 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रादरकन एवं नए नए अधिनित प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धा विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संख सं.	संस्था का नाम	प्रादरकन का नाम	पीडीआई/डी द्वारा संख 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	पीडीआई/डी/परिषद द्वारा संख 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	1971	एनएचएस/एनएचएस/एनएचएस/एनएचएस, गढ़।	विस्तार इन शर्तों पर	00	00

**सम्बद्धा हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एनएचएस/एनएचएस/एनएचएस/एनएचएस द्वारा निर्मित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था प्रत्येक वर्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, संशोधन विनियमवली-2016 तथा अन्य विनियम किये गये शर्तों का अनुपालन करेगी तथा सुदूर निर्देश समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वीस वीस इन्डियन प्रोसेसिंग हेतु रु 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिये करेगी। प्रत्येक हेतु 100-10,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक लाख से अधिक प्रादरकन की अधिनित प्रवेश/प्रवेशों से शुल्क रु 00-इन्डियन शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/प्रवेश के लिये किये जायेंगे। प्रत्येक से अधिनित प्रवेश/प्रवेशों से शुल्क रु प्रत्येक से प्रत्येक-प्रत्येक पर प्रदान द्वारा निर्णय किये जाने वाले सम्बन्धित प्रकल्पों एवं, और अनुमोदन शर्तों के लिए

*(Handwritten signature)*